

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 213/2024
 दायर दिनांक :- 25.09.2024


जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/224
 निर्णय दिनांक :- 12.02.2025

1. कुनणीदेवी पुत्री प्रहलादराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. किसनाराम पुत्र लाधूराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. चैनाराम पुत्र लाधूराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
4. जीवणराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
5. पपूराम पुत्र लाधूराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
6. पालू पत्नी लाधूराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
7. पालू पुत्री प्रहलादराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
8. मांगी पुत्री लाधूराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
9. रामेश्वरलाल पुत्र लाधूराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
10. लक्ष्मी पुत्री प्रहलादराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
11. सोनाराम पुत्र लाधूराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. भूराराम पुत्र सूराराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. अर्जुनराम पुत्र फगलूराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. जीवणीदेवी पुत्री फगलूराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
4. प्रतापाराम पुत्र फगलूराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
5. मनोहरराम पुत्र फगलूराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
6. समदी पत्नी भरमलराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
7. अमराराम पुत्र धूडाराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
8. भगवानाराम पुत्र धूडाराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
9. भाखरराम पुत्र धूडाराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
10. मणकराम पुत्र धूडाराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
11. हरचंदराम पुत्र धूडाराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
12. अर्जुनराम पुत्र जगमालराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
13. खेमाराम पुत्र जगमालराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
14. प्पूराम पुत्र जगमालराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
15. माणकराम पुत्र जगमालराम जाति विश्णोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी



सहायक कलक्टर
 बाप (फलोदी)

16. मोहनराम पुत्र जगमालराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
17. सोहनराम पुत्र जगमालराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
18. साजनराम पुत्र कानूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
19. हीराराम पुत्र कानूराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
20. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना खीरवा वितरिका
21. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण


राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

उपरिस्थित :-1. श्री राजेन्दसिंह सौलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 1704 रकबा 8.9678 हैक्टेयर ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू-नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 13.05.2024 को जारी आदेश क्र संख्या 91 की पालना में दिनांक 21.05.2024 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा पड़ोसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 21.05.2024 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थीगण को तारबन्दी नहीं करने दे रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाड़, तारबन्दी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबन्दी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 21.05.2024 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 21 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया



सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 20 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 1704 रकबा 8.9678 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 21.05.2024 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 1704 रकबा 8.9678 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण पैमाईश फर्द दिनांक 21.05.2024 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 1704 रकबा 8.9678 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गड्ढी मौका फर्द दिनांक 21.05.2024 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गड्ढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



12/2/25
 सहायक कलेक्टर (सुखाराम मिण्डेल, R.A.S.)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 बाप (फलोदी)